| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No. 57/2024 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.6.2024 | पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (जगदीश पुत्र छतरारामजी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (छतराराम पुत्र सदारामजी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही) उपस्थित।<br><br>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.7.2023 को फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जगदीश पुत्र छतरारामजी माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2177 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1964/Act/2023/2007 दिनांक 25.7.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 24.6.2024 को प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण दिनांक 24.6.2024 को ही सुना गया, जिन्होनें अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है, उन्होनें गांव से दूध खरीद कर पनीर बनाया है, उसमें कोई मिलावट नही की है। भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेंगे। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।<br><br>हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 12.7.2023 को फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थ [illegible] के दौरान फर्म [illegible] लगातार | |

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No. 57/2024 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस के अन्दर आम जन के बिक्री व उपयोग हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 5 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ पनीर में से एक किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर को हिला मिलाकर एकरुप कर चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ पनीर की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 14.7.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 12.7.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड, कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जगदीश पुत्र छतराराम जी माली के विरुद्ध ... खाद्य सुरक्षा एवं<br>लगातार | |

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No. 57/2024 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
| --- | --- | --- |

मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2177 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1964/Act/2023/2007 दिनांक 25.7.2023 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर का प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या–2 (छतराराम पुत्र सदाराम जी माली) है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 (छतराराम पुत्र सदाराम जी माली) की प्रोपराईटरी फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश पुत्र छतराराम जी माली द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

**आदेश**

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी छतराराम पुत्र सदाराम जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड़ गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी छतराराम पुत्र सदाराम जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड गेस्ट हाउस, रुपावा बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.7.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश [illegible] पेला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested